क्लेम फ़ॉर्म भरने के लिए दिशा-निर्देश

1. यदि मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो इस स्थिति में आवेदन करने से पहले मृत्यु प्रमाण पत्र अवश्य बनवाएँ।

2. आवेदन करने से पूर्व जनआधार में अपने बैंक विवरण अवश्य जाँचें, अन्यथा धनराशि गलत बैंक खाते में जा सकती है।

3. आवेदन करने से पूर्व मृतक व्यक्ति का विवरण जनआधार में अवश्य जाँच लें, अन्यथा समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

4. यदि मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र बना हुआ है और फिर भी आवेदन नहीं किया गया है -

- यदि मृतक का आधार नंबर जनआधार में संशोधित है, तो डेटा अपडेट होने में 2–3 दिन लगते हैं। अतः आप 2–3 दिन बाद क्लेम हेतु आवेदन कर सकते हैं।
- यदि मृतक का आधार नंबर जनआधार में संशोधित नहीं है, तो इस स्थिति में आपको निकटतम ई-मित्र पर जाकर मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र जनआधार में संशोधित करवाना होगा।
    - ग्रामीण क्षेत्र के मामले में यह डेटा विकास अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् संशोधित होगा।
    - शहरी क्षेत्र के मामले में यह डेटा उपखंड अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् संशोधित होगा।

5. अगर मृतक का आधार नंबर जनआधार में नहीं जुड़ा है, तो निकटतम ई-मित्र केंद्र पर जाकर मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र जनआधार में जोड़वाएँ। यह प्रक्रिया सामान्यत: 15–20 दिन में पूरी हो जाती है। इसलिए अगर नाम दिखाई नहीं दे रहा है तो 15–20 दिन तक प्रतीक्षा करें और नाम फिर से जोड़ने की कोशिश न करें।

6. दुर्घटना दिनांक (मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु दिनांक) से 60 दिवस की अवधि में दावा प्रस्तुत करना ज़रूरी होगा।

7. विलम्ब के समुचित कारणों का उल्लेख करते हुए दावा प्रपत्र की दुर्घटना दिनांक / मृत्यु दिनांक से 90 दिवस की अवधि में पूर्ति की जा सकेगी।

8. दावा प्रपत्र पोर्टल पर सबमिट करने पर जनाधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। मुखिया की मृत्यु की स्थिति में दावेदार द्वारा ऑनलाइन दावा प्रपत्र में अंकित मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। दावेदार द्वारा OTP को सबमिट करने तथा पोर्टल द्वारा स्वीकृत कर लिए जाने पर ही दावा पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा।

9. पोर्टल पर दावा दर्ज होने के बाद बीमाकर्ता द्वारा दावे का परीक्षण किया जाएगा तथा पॉलिसी के परिपेक्ष्य में उचित पाए जाने पर दावा स्वीकृत / अस्वीकृत किया जाएगा। अन्य दस्तावेज़ वांछित होने पर बीमाकर्ता द्वारा दावेदार से ऑनलाइन ही दस्तावेज़ों की मांग की जाएगी।

10. बीमाकर्ता द्वारा दावेदार के मोबाइल नंबर पर स्वीकृति / अस्वीकृति एवं आक्षेप के सम्बन्ध में संदेश भेजा जाएगा।

11. दावा स्वीकृत योग्य होने पर जनाधार कार्ड से लिंक मुखिया के बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।

12. मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में पति तथा उनके भी जीवित नहीं होने पर परिवार में शेष रहे सदस्यों में भुगतान योग्य राशि समान अंशों में विभाजित कर बीमाकर्ता द्वारा बीमित परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में ऑनलाइन जमा कराई जाएगी।

13. परिवार (जनाधार में अंकित) के सभी सदस्यों की मृत्यु होने की स्थिति में कोई राशि देय नहीं होगी।

14. पारिवारिक विवाद की स्थिति अथवा न्यायिक प्रक्रिया लंबित होने पर सक्षम न्यायालय के निर्णय के अनुसार भुगतान देय होगा।

<u>योजना के अंतर्गत लाभ कब देय होंगे</u>

मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत निम्नांकित दुर्घटनाओं में बीमित परिवार के सदस्य/ सदस्यों की मृत्यु अथवा अन्य शारीरिक क्षतियों की दशा में योजना के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया जायेगा । योजना के अंतर्गत दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी भी ऐसी शारीरिक चोट से है जो किसी बाह्य, हिंसात्मक एवं दृश्य माध्यम द्वारा लगी हो। शारीरिक चोट संदर्भित दुर्घटना से ही उत्पन्न हुई होनी चाहिए एवं दुर्घटना से पूर्व अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए । मृत्यु/ क्षति का सीधा सम्बन्ध (proximate cause) दुर्घटना से होने पर ही योजना के तहत भुगतान देय होगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के लाभ निम्न प्रकार की दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु /क्षति पर देय होंगे :

1. सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना एवं वायु दुर्घटना से होने वाली मृत्यु/ क्षति
2. बीमित के ऊंचाई से गिरने तथा ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति
3. मकान के ढहने के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति
4. बिजली के झटके के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति
5. रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति
6. डूबने के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति
7. जलने से होने वाली मृत्यु/ क्षति
8. मशीनों (थ्रेशर, क्रशर, आरा मशीन, ग्लैंडर आदि) पर/उससे काम करते समय हुई दुर्घटना

<u>योजना के अंतर्गत लाभ कब देय नहीं होंगे</u>

योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं दुर्घटना प्रकरणों पर विचार किया जायेगा जो योजना के अंतर्गत लाभ कब देय होंगे में अंकित है तथा जिनमें मृत्यु अथवा शारीरिक क्षतियां दुर्घटनाओं से उत्पन्न होती है। मृत्यु / क्षति का सीधा संबंध (Proximity Cause) दुर्घटना से होना चाहिए। आशय यह है कि योजना के अंतर्गत प्राकृतिक मृत्यु अथवा शारीरिक क्षतियों पर इस पॉलिसी के अंतर्गत किसी प्रकार का लाभ देय नहीं होगा।

निम्न स्थितियों में लाभ देय नहीं होंगे-

1. विभिन्न बीमारियों जैसे: कैंसर, टीबी, हृदयाघात (हार्ट अटैक) अथवा पागलपन इत्यादि से होने वाली मृत्यु अथवा अन्य क्षतियाँ।
2. हत्या, हत्या का प्रयास, आत्मक्षति, आत्महत्या अथवा आत्महत्या का प्रयास।
3. किसी बीमित सदस्य द्वारा नशीले द्रव्य / ड्रग्स/ ऐल्कोहल के सेवन से होने वाली मृत्यु/क्षति
4. चिकित्सा अथवा शल्य क्रिया के दौरान होने वाली क्षति
5. नाभिकीय विकिरण अथवा परमाण्विक अस्त्रों से होने वाली क्षति
6. युद्ध, विदेशी आक्रमण, विदेशी शत्रु के कृत्यों, गृह युद्ध, देशद्रोह अथवा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों इत्यादि से होने वाली क्षति
7. गर्भधारण अथवा प्रसव के कारण होने वाली क्षति
8. बीमित व्यक्ति द्वारा आपराधिक उद्देश्य से विधि द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करते समय हुई क्षति
9. एविएशन में एंगेज होने / बैलूनिंग / मॉउंटिंग/ डिस मॉउंटिंग / के समय अथवा एयरक्राफ्ट में पैसेंजर के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में यात्रा करते समय हुई मृत्यु/ क्षति
10. विभिन्न दुर्घटनाओं में हाथ अथवा पैर का फ्रैक्चर इत्यादि होने की दशा में पॉलिसी के अंतर्गत लाभ देय नहीं होंगे
11. जहरीले जंतु के कारण मृत्यु अथवा क्षति
12. पॉलिसी की एक वर्ष की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्यों के संबंध में एक से अधिक दावों के मामलों में बीमित परिवार को इस योजना के अंतर्गत देय अधिकतम भुगतान रुपये 5 लाख से अधिक नहीं होगा
13. यदि पॉलिसी वर्ष में किसी सदस्य की दुर्घटनावश क्षति होती है तथा उसी पॉलिसी वर्ष में पुनः कोई दुर्घटना घटित होती है तो बाद में घटित होने वाली दुर्घटना के विरुद्ध भुगतान करते समय पहले दावे में किये गए भुगतान की राशि को कम करते हुए दूसरे दावे के विरुद्ध भुगतान किया जायेगा

दुर्घटना के प्रकार के आधार पर आवश्यक दस्तावेज़

दुर्घटना का प्रकार	मृत्यु	क्षति
1. सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना एवं वायु दुर्घटना 2. बीमित के ऊंचाई से गिरने तथा ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण 3. मकान के ढहने के कारण 4. मशीनों (थ्रेशर, क्रशर, आरा मशीन, ग्लैंडर आदि) पर/उससे काम करते समय हुई दुर्घटना	1. मृत्यु प्रमाण-पत्र 2. इनमें से कम से कम कोई एक दस्तावेज़- (i) पोस्टमार्टम रिपोर्ट (ii) एफ आई आर / रोजनामचा/ मर्ग रिपोर्ट (iii) पंचनामा (iv) चिकित्सालय द्वारा डेथ समरी	1. चिकित्सालय की रिपोर्ट 2. एफ आई आर / रोजनामचा (यदि कराई गई हो) 3. डायग्नोस्टिक रिपोर्ट 4. मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण-पत्र
1. बिजली के झटके के कारण 2. रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण	1. मृत्यु प्रमाण-पत्र 2. इनमें से कम से कम कोई एक दस्तावेज़- (i) पोस्टमार्टम रिपोर्ट (ii) चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ समरी 3. एफ आई आर 4. इलाज का विवरण यदि चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है.	1. चिकित्सालय की रिपोर्ट 2. डायग्नोस्टिक रिपोर्ट 3. मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण-पत्र
1. डूबने के कारण 2. जलने की स्थिति में	1. मृत्यु प्रमाण-पत्र 2. एफ आई आर 3. पोस्टमार्टम रिपोर्ट 4. एफ आर	1. चिकित्सालय की रिपोर्ट 2. एफ आई आर / रोजनामचा 3. एफ आर 4. डायग्नोस्टिक रिपोर्ट 5. मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण-पत्र